निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 801) पटना, सोमवार, 4 सितम्बर 2017

विधि विभाग

———

अधिसूचनाएं

4 सितम्बर 2017

सं० एल0जी0-01-26/2017/174/लेजः ।-—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017

[बिहार अधिनियम 20, 2017]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना :– चूँकि, राज्य सरकार ने संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21.11.2008 के द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने तथा डिग्री महाविद्यालय सहित संस्थानों को अनुदान देने का निर्णय लिया है। कालान्तर में संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों के बीच अनुदान राशि के वितरण के क्रम में ऐसा देखा गया है कि उक्त कोटि के महाविद्यालयों में लंबी अवधि से कार्यरत अनेक शिक्षकों की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा की गई थी। हालांकि, कतिपय कारणों से उक्त कोटि के शिक्षकों के मामले में तत्कालीन बिहार कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त नहीं की गई थी,

और, चूँकि, तत्कालीन बिहार कॉलेज सेवा आयोग अस्तित्व में नहीं है एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) यथा अद्यतन संशोधित में संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के निमित्त महाविद्यालय स्तर पर अनुशंसा देने हेतु एक नई संस्था यथा ''चयन समिति'' का प्रावधान किया गया है,

चूँकि, अधिनियम के प्रावधानों को शिथिल किये बगैर, चयन समिति के लिए व्यक्तिवार मामलों की समीक्षा करना व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है,

चूँकि, लोकहित में चयन समिति को बिहार कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा के बगैर सभी कार्यरत् शिक्षकों के मामले की जाँच करने हेतु सशक्तिकरण के लिए प्रावधान करना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।–(1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 57 क में संशोधन – (बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा 57 क की उपधारा–(6) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :–

"(6) इस अधिनियम के अधीन रहते हुए, चयन समिति, संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में दिनांक 19.04.2007 के पूर्व बिहार कॉलेज सेवा आयोग की अनुशंसा के बगैर नियुक्त शिक्षकों के मामले की समीक्षा, ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के समय लागू अहर्त्ता के आधार पर दिनांक 31.03.2018 तक पूरी कर लेगी, अन्यथा ऐसी नियुक्तियाँ वैध नहीं मानी जाएगी। तत्पश्चात् महाविद्यालय के शासी निकाय चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों को स्वीकार करेगी, जिसे संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा।

दिनांक 31.03.2018 तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि का वितरण, संबंधित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बीच, उनकी शासी निकाय के द्वारा किया जाएगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

4 सितम्बर 2017

सं0 एल0जी0–01–26/2017/175/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमत बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Bihar State University (Amendment) Act, 2017

[Bihar Act 20, 2017]

AN

ACT

To Amend the Bihar State Universities Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976) (as amended from time to time)

Preamble:- Whereas, the State Government has taken a policy decision to abolish the Vitta Rahit Shiksha Niti and to provide grant to the institutions including Degree Colleges vide Resolution No 1846, dated 21-11-2008. In course of distribution of grant amongst the teachers of the Affiliated Degree colleges, it has been noticed that the many of the teachers

working in such colleges for long duration were appointed by the Governing Body of the Colleges. However, erstwhile Bihar College Service Commision's recommendation in respect of them was not obtained for various reasons;

And whereas, since erstwhile Bihar College Service Commission has ceased to exist and a new body namely selection committee at college level has been created for making recommendation with regard to the appointment of teachers of the Affiliated Degree Colleges under The Bihar State University Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976) as amended from time to time;

Whereas it is practically not possible for the selection committee to scrutinize individual cases unless relaxation is permitted.

whereas, it is necessary in public interest to provide for empowerment to the selection committee to scrutinize the cases of all those working teachers appointed without the recommendation of the Bihar College Service Commission.

Now, therefore, Be it enacted by the legislature of The State of Bihar in the sixty eight year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.– (1) This Act may be called The Bihar State Universities (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. Amendment in Section 57A of the Bihar Act 23, 1976.- Sub-section (6) of Section 57A of The Bihar Act 23 of 1976 shall be substituted by the following:-

"(6) Subject to this Act, The Selection Committee shall complete the scrutiny of the cases of the teacher's appointed without the recommendation of the Bihar College Service Commission prior to 19.04.2007 in the Affiliated Degree Collleges on the basis of the qualifications enforced at time of the appointment of such teachers till 31.03.2018. Otherwise such appointments will not be treated valid. Thereafter the Governing Body of the college will accept the names recommended by the Selection Committee, which shall be finally approved by the concerned University.

Distribution of grant amount sanctioned by the State Government till 31.03.2018 shall be made amongst the teachers working in the concerned affiliated degree colleges by its Governing Body."

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 801-571+400-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in